राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7853/2020

श्रीमती चंदा केसवानी पत्नी श्री भूपेश दतवानी, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ए-233, माधव नगर लेन नंबर 2, झूलेलाल मंदिर के पास, चोसियावास रोड, वैशाली नगर, अजमेर।

---- अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, मुख्य भवन, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. संयुक्त निदेशक (एचआरडी), कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015.

---- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री राजेश कपूर श्री हर्षद कपूर के साथ
प्रत्यर्थी की ओर से	:	डॉ. वी.बी.शर्मा, अपर महाधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

आदेश

आदेश आरक्षित करने की तारीख	**:**	**31/10/2023**
उच्चारित करने की तारीख	**:**	**08/11/2023**

रिपोर्टेबल

न्यायालय द्वारा:

1. **"माँ वह है जो बाकी सभी की जगह ले सकती है, लेकिन जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता।"**
2. **मां और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता खास होता है। यह समय या दूरी के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। यह सबसे शुद्ध प्रेम है- बिना शर्त और सच्चा। यह किसी भी**

स्थिति को समझना और किसी भी प्रकार की गलतियों को माफ करना है...।"

3. मातृत्व सभी सभ्यताओं की जननी है। परिवार के रूप में सामाजिक संस्था को समाज की रीढ़ माना जाता है। माँ की शक्ति को पहचाने बिना गैर-सभ्यता का दौर चल सकता था और अक्सर उसे लाक्षणिक रूप से देवी के रूप में पेश किया जाता था। एक परिवार में जन्मा बच्चा सबसे पहले दुनिया को अपनी माँ की नज़र से देखता है और अपने कौशल को परिवार की नज़र से विकसित करता है।

4. इस याचिका में शामिल मुद्दे यह हैं कि क्या राज्य सरकार प्राकृतिक मां, जैविक मां और सरोगेसी प्रक्रिया से बच्चा पैदा करने वाली मां के बीच कोई अंतर कर सकती है? क्या सरोगेट मां/कमीशनिंग मां को प्रसूति छुट्टी पाने से वंचित किया जा सकता है? क्या सरोगेट मां को प्रसूति छुट्टी देने से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और क्या जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार भी शामिल है?" इस पृष्ठभूमि में, इस याचिका में शामिल मुद्दे पर विचार करना आवश्यक है।

5. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि सरोगेसी की प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद, अपीलार्थी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था और उसने नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए प्रसूति छुट्टी पाने के लिए राज्य अधिकारियों के समक्ष आवेदन किया था। लेकिन सरकार ने दिनांक 23.06.2020 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को यह अनुदान देने से इनकार कर दिया, जिसमें यह दर्शाया गया था कि मां को जिन्हें सरोगेसी की प्रक्रिया से बच्चे मिले प्रसूति छुट्टी देने के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 (संक्षेप में "1951 के नियम") के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

6. अपीलार्थी ने दिनांक 23.06.2020 के आक्षेपित आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है:

    1. प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी को 01.02.2020 से शुरू होने वाले 180 दिनों के लिए प्रसूति छुट्टी देने/मंजूरी देने का निर्देश दें।
    2. प्रत्यर्थियों को आरएसआर के नियम 103 के अनुसार प्रसूति छुट्टी पर आगे बढ़ने से तुरंत पहले अपीलार्थी द्वारा लिए गए वेतन के बराबर

छुट्टी वेतन का भुगतान करने का निर्देश दें।

3. प्रत्यर्थियों को निर्देशित करें कि वे अपीलार्थी द्वारा प्राप्त प्रसूति छुट्टी को उसके छुट्टी खाते से डेबिट न करें और इस संबंध में अपीलार्थी की सेवा-पुस्तिका में एक अलग प्रविष्टि की जाएगी।
4. कोई अन्य राहत, जिसे माननीय न्यायालय विनम्र अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, विनम्र अपीलार्थी को भी दी जाए।"

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी का विवाह 25.08.2007 को संपन्न हुआ था। चूँकि जोड़े को विवाह से कोई समस्या नहीं थी, इसलिए अपीलार्थी ने अपने पति के साथ सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे पैदा करने का निर्णय लिया। उस प्रक्रिया का लाभ उठाने के बाद, चिन्मय दतवानी और चार्मी दतवानी नाम के जुड़वां बच्चों का जन्म 31.01.2020 को हुआ। अधिवक्ता का कहना है कि बच्चों के जन्म के बाद अपीलार्थी ने बच्चों की देखभाल के लिए 180 दिनों का प्रसूति छुट्टी देने के लिए आवेदन किया था। अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा 06.03.2020 को अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थियों ने 23.06.2020 के आदेश के तहत आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि राजस्थान सेवा नियम, 1958 के तहत प्रसूति छुट्टी देने का कोई प्रावधान नहीं है क्योकि दंपत्ति सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। अधिवक्ता का कहना है कि नियम विधानमंडल द्वारा वर्ष 1951 में अधिनियमित किए गए थे और प्रासंगिक समय में माता-पिता द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ और चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ, माता-पिता के पास बच्चे पैदा करने का एक वैकल्पिक तरीका है सरोगेसी, यदि उन्हें विवाह से कोई समस्या नहीं हो रही है। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से पैदा हुए बच्चों की देखभाल के लिए 180 दिनों का प्रसूति छुट्टी पाने की हकदार है। अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि 1958 के नियमों के तहत ऐसा कोई नियम नहीं है और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में भी समान नियम मौजूद नहीं हैं, लेकिन **रमा पांडे बनाम भारत संघ और अन्य के मामले (WP (C) No. 844/2014)** में दिल्ली उच्च न्यायालय में ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे ही मामले में प्रसूति छुट्टी देने के संबंध में नियम की व्याख्या की है जहां बच्चे सरोगेसी प्रक्रिया

से पैदा हुए थे। अधिवक्ता का कहना है कि **रमा पांडे** (सर्पा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने न केवल सरोगेट मां को चिकित्सा छुट्टी प्रदान किया है, बल्कि उसे अन्य सेवा लाभ भी प्रदान किए हैं। अधिवक्ता ने कहा कि **रमा पांडे** (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का बाद में **डॉ. सुश्री पूजा जिग्नेश दोशी बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन मुंबई** में रिपोर्टित**, के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा 1433 और श्रीमती अमीषा गिरीश रामचंदानी बनाम मंडल प्रबंधक (कार्मिक शाखा) मुंबई 71 सीएसटी और अन्य**, **2016 एससीसी ऑनलाइन मुंबई** में रिपोर्टित**,** का अनुसरण किया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी को प्रसूति छुट्टी देने के लिए प्रत्यर्थियों को उचित निर्देश जारी किए जाएं और अपीलार्थी के पक्ष में परिणामी लाभ भी दिए जाएं।

8. इसके विपरीत, सरकार के प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि 1951 के नियमों के नियम 103 के तहत सरोगेट मां को प्रसूति छुट्टी देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए प्रत्यर्थियों ने दिनांक 23.06.2020 को आक्षेपित आदेश पारित करने में अवैधता का कोई कारण नहीं बनाया है। अधिवक्ता का कहना है कि इस तरह के प्रसूति छुट्टी के अनुदान के लिए किसी नियम के अभाव में अपीलार्थी इस न्यायालय से कोई छूट पाने का हकदार नहीं है, इसलिए याचिका खारिज होने योग्य है।

9. बार में की गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

10. प्रत्यर्थियों के सामने एकमात्र कठिनाई यह है कि सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने वाली मां को प्रसूति छुट्टी देने के लिए 1951 के नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है। 1951 के नियमों का नियम 103 प्रसूति छुट्टी देने के प्रावधानों से संबंधित है, जो इस प्रकार है:-

> **"103. प्रसूति छुट्टी**– दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी को इसके प्रारंभ होने की तारीख से 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दिया जा सकता है। हालाँकि, यदि दो बार इसका लाभ उठाने के बाद भी कोई जीवित बच्चा नहीं है, तो एक और अवसर पर

प्रसूति छुट्टी दिया जा सकता है। ऐसी अवधि के दौरान वह छुट्टी पर जाने से ठीक पहले लिए गए वेतन के बराबर छुट्टी वेतन की हकदार होगी। ऐसी छुट्टी को छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा बल्कि ऐसी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में अलग से की जानी चाहिए।

11. 1951 के नियमों के उपरोक्त नियम 103 के अवलोकन से पता चलता है कि एक महिला "सरकारी कर्मचारी" को 180 दिनों की अवधि के लिए दो बार 'प्रसूति छुट्टी' दिया जा सकता है। लेकिन 'प्रसूति छुट्टी' शब्द 1951 के नियमों के तहत परिभाषित नहीं है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि प्रसूति छुट्टी देने का प्रावधान राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 06.12.2004 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

12. 1951 के नियमों में नियम 103 के प्रतिस्थापन से पहले, कुछ निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संक्षेप में '1961 का अधिनियम') के तहत 'मातृत्व लाभ' देने का प्रावधान था और बच्चे के जन्म के बाद. 1961 के अधिनियम की धारा 3(बी) के अनुसार "बच्चे" में "मृत जन्मा बच्चा" भी शामिल है। लेकिन 1951 के नियम और 1961 के अधिनियम के तहत कहीं भी "मां और बच्चे" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

13. आम बोलचाल की भाषा में "प्रसूति छुट्टी" शब्द का अर्थ यह है कि एक महिला कर्मचारी को बच्चे के जन्म के बाद अपने नवजात शिशु की देखभाल करने और परिवार में नए नन्हें के आगमन पर उसके साथ प्यार, देखभाल और स्नेह का बंधन विकसित करने के लिए एक निश्चित समय की छुट्टी दी जाती है। इस अवधि के दौरान कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित रहती है और ऐसे कर्मचारी को प्रसूति छुट्टी के समय का वेतन मिलता है।

14. एक महिला न केवल बच्चे को जन्म देकर बल्कि बच्चे को गोद लेकर भी मां बन सकती है और अब चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ, महिला या दंपत्ति के लिए बच्चा पैदा करने के लिए सरोगेसी भी एक विकल्प है। मातृत्व लाभ देने से संबंधित प्रावधान एक लाभकारी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय प्राप्त करना है और इसलिए, इसे लाभकारी रूप से समझा जाना चाहिए। **बी. शाह बनाम के मामले में**

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कोयंबटूर और अन्य (1977) 4 एससीसी 384 में रिपोर्टित के पैरा 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "18.....इस संबंध में यह भी ध्यान में रखना होगा कि कानून के लाभकारी प्रावधानों की व्याख्या करते समय, जैसे कि बागानों में कार्यरत महिला श्रमिकों को सामाजिक न्याय देने के उद्देश्य को प्राप्त करना है और जो स्पष्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 42 के दायरे में, निर्माण का लाभकारी नियम जो महिला श्रमिक को न केवल निर्वाह करने में सक्षम करेगा, बल्कि अपनी नष्ट हुई ऊर्जा को पूरा करने, अपने बच्चे का अनुसरण-पोषण करने, एक श्रमिक के रूप में अपनी दक्षता को संरक्षित करने और अपने स्तर को बनाए रखने में भी सक्षम बनाएगा और न्यायालय द्वारा पिछली दक्षता और आउटपुट के स्तर को अपनाया जाना चाहिए।"

15. शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश शब्दकोष (पांचवें संस्करण) के अनुसार, "मातृत्व" का अर्थ है (1) माँ होने की गुणवत्ता या स्थिति; मातृत्व और (2) माँ के गुण या आचरण; मातृत्व. अन्य ऑक्सफ़ोर्ड अंग्रेजी शब्दकोशों के अनुसार, "मातृत्व" का अर्थ मातृत्व है।

16. ब्लैक्स ब्लैक लॉ डिक्शनरी (आठवें संस्करण) के अनुसार, "मातृत्व" का अर्थ माँ होने की अवस्था या स्थिति है, विशेष रूप से जैविक; मातृत्व.

17. मातृत्व का अर्थ गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद की अवधि है। यदि मातृत्व का अर्थ मातृत्व है, तो प्राकृतिक और जैविक मां और सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने वाली मां के बीच अंतर करना उचित नहीं होगा। प्रसूति छुट्टी का उद्देश्य महिला और उसके बच्चे के पूर्ण और स्वस्थ रखरखाव की व्यवस्था करके मातृत्व की गरिमा की रक्षा करना है। प्रसूति छुट्टी का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है क्योंकि मातृत्व और बचपन दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्रसूति छुट्टी प्रदान करते समय न केवल माँ और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाता है, बल्कि दोनों के बीच स्नेह का बंधन बनाने के लिए भी छुट्टी प्रदान किया जाता है।

18. निःसंतान दम्पत्तियों के लिए सरोगेसी एक वरदान है। एक महिला अपने इच्छित माता-पिता की मदद से बनाए गए भ्रूण या युग्मकों के स्थानांतरण द्वारा दूसरों के लिए अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, इसे सरोगेसी कहा जाता है। भारत में इसकी घोषणा प्राचीन काल से ही की जाती रही है और इसे 'नियोय धर्म' शब्द से जाना जाता था। हमारे देश का प्राचीन इतिहास बताता है कि कई महान नायकों का जन्म सरोगेसी से हुआ था। सरोगेसी को अब सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है, इसीलिए सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (संक्षेप में '2021 का अधिनियम') अधिनियमित किया गया है जो सरोगेसी और सरोगेसी प्रक्रियाओं के नियमितीकरण के प्रावधानों से संबंधित है। इसलिए, सरोगेसी उन जोड़ों के लिए बच्चा पैदा करने का एक विकल्प है जिनके लिए अकेले बच्चे को जन्म देना संभव नहीं है। अब, कोई भी सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा पैदा कर सकता है और इसे कानून के तहत मान्यता प्राप्त है।

19. इसी तरह, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियम) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, एक बांझ विवाहित जोड़ा जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से एक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिक या एक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंक से संपर्क करता है, उसे 'ए' कहा जाता है। 'कमीशनिंग जोड़ी'. इसी तरह, एक कमीशनिंग मदर वह मां होगी, जो सरोगेट मां के किराए के गर्भ से बच्चा प्राप्त करना चाहती है। हालाँकि, कमीशनिंग माँ बच्चे की जैविक माँ बनी रहती है और बच्चे के संबंध में सभी अधिकार बरकरार रखती है।

20. एक बार जब विधानमंडल द्वारा 2021 का अधिनियम बनाकर सरोगेसी को मान्यता दे दी गई है और एक महिला अब सरोगेसी की प्रक्रिया के माध्यम से मां बन सकती है, तो उसे सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे के जन्म के बाद प्रसूति छुट्टी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। पिछले दशक में, केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1973 (संक्षेप में) के नियम 43 के तहत निहित 'प्रसूति छुट्टी' शब्द की व्याख्या करते हुए, देश भर में कई उच्च न्यायालयों द्वारा इस मुद्दे पर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1973') सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1973 का नियम 43, 1951 के नियम के नियम 103 का मानदंड है। सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1973 का नियम 43 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"**43. प्रसूति छुट्टी:**

(1) दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) को इसके प्रारंभ होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रसूति छुट्टी दिया जा सकता है।

(2) ऐसी अवधि के दौरान, उसे छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का भुगतान किया जाएगा।

टिप्पणी:- ऐसे व्यक्ति के मामले में जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू होता है, इस नियम के तहत देय छुट्टी वेतन की राशि उक्त अधिनियम के तहत संगत अवधि के लिए देय लाभ की राशि से कम कर दी जाएगी।

(3) किसी महिला सरकारी कर्मचारी को (जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिए बिना) उसकी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात सहित गर्भपात के मामले में नियम 19 में निर्धारित चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिनों से अधिक का प्रसूति छुट्टी नहीं दिया जा सकता है।:

बशर्ते कि सीसीएस (छुट्टी) संशोधन नियम, 1995 के शुरू होने से पहले दी गई और ली गई मातृत्व छुट्टी को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(4) (क) प्रसूति छुट्टी को किसी अन्य प्रकार के छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(ख) नियम 30 के उप-नियम (1) या नियम 31 के उप-नियम (1) में निहित चिकित्सा प्रमाणपत्र बनाने की आवश्यकता के बावजूद, देय और स्वीकार्य प्रकार की छुट्टी (60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए परिवर्तित छुट्टी और छुट्टी सहित) देय नहीं) अधिकतम दो वर्ष तक, यदि आवेदन किया जाता है, तो उप-नियम (1) के तहत प्रदत्त प्रसूति छुट्टी की निरंतरता में स्वीकृत की जा सकती है।

(5) प्रसूति छुट्टी को छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा।"

21. प्रसूति छुट्टी के प्रावधानों और सरोगेसी और कमीशनिंग मां के इसके अधिकार की व्याख्या करते हुए, कई उच्च न्यायालयों ने माना है कि कमीशनिंग मां (जैविक मां) प्रसूति छुट्टी के अनुदान की हकदार है और यह मुद्दा अब कोई अभिन्न अंग नहीं है। **देवश्री बांधे बनाम छत्तीसगढ़ सरकार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य. [W.P.(S) No. 101/2017],** 20.02.2017 को निर्णित मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 24 और 25; में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "24. मातृत्व का अर्थ गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद की अवधि है। यदि मातृत्व का अर्थ मातृत्व है, तो प्राकृतिक और जैविक मां और सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने वाली मां के बीच अंतर करना उचित नहीं होगा। प्रसूति छुट्टी का उद्देश्य महिला और उसके बच्चे के पूर्ण और स्वस्थ रखरखाव की व्यवस्था करके मातृत्व की गरिमा की रक्षा करना है। प्रसूति छुट्टी का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है। मातृत्व और बचपन दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रसूति छुट्टी प्रदान करते समय न केवल माँ और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाता है, बल्कि दोनों के बीच स्नेह का बंधन बनाने के लिए भी छुट्टी प्रदान किया जाता है।
>
> 25. भारत के संविधान के तहत जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार भी शामिल है।

22. छत्तीसगढ़ सरकार ने **देवश्री बांधे** (सुप्रा) के मामले में अपनाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को **श्रीमती साधना अग्रवाल बनाम के मामले में छत्तीसगढ़** उच्च न्यायालय द्वारा फिर से अपनाया और दोहराया गया है। **2017 एससीसी ऑनलाइन छत्तीसगढ़ 19** में रिपोर्टित।

23. इसी प्रकार, **रमा पांडे बनाम भारत संघ एवं अन्य। [W.P.(C) No. 844/2014] 17.07.2015 को निर्णित** मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 24 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित है:-

> "24. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मैं निम्नलिखित निष्कर्ष पर

पहुंचा हूं:-

(i) एक महिला कर्मचारी, जो कमीशनिंग मां है, नियम 43 के उप-नियम (1) के तहत प्रसूति छुट्टी के लिए आवेदन करने की हकदार होगी।

(ii) सक्षम प्राधिकारी अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर यह तय करेगा कि सरोगेसी मार्ग अपनाने वाली कमीशनिंग मां को प्रसूति छुट्टी किस समय और अवधि के लिए दिया जाना चाहिए।

(iii) जब एक महिला कर्मचारी, जो प्रसवपूर्व चरण में कमीशनिंग मां है, द्वारा छुट्टी मांगी जाती है, तो जांच अधिक गहन और विस्तृत होगी। यदि प्रसवपूर्व चरण में प्रसूति छुट्टी अस्वीकार कर दिया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस महिला कर्मचारी द्वारा, जो प्रसूति छुट्टी का लाभ लेना चाहती है, उसके समक्ष रखी गई सामग्री, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा। ऐसी स्थिति में जहां कमीशनिंग मां और सरोगेट मां दोनों कर्मचारी हैं, जो अन्यथा छुट्टी के लिए पात्र हैं (एक इस आधार पर कि वह एक कमीशनिंग मां है और दूसरी इस आधार पर कि वह गर्भवती महिला है), एक उपयुक्त समायोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(iv) जहां तक प्रसव के बाद की अवधि के लिए छुट्टी देने का सवाल है, सक्षम प्राधिकारी आमतौर पर ऐसी छुट्टी मंजूर करेगा, सिवाय इसके कि उस संबंध में किए गए अनुरोध को अस्वीकार करने के पर्याप्त कारण हों। इस मामले में भी, सक्षम प्राधिकारी एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

24. इसी प्रकार, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने **डॉ. श्रीमती हेमा विजय मेनन बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य [W.P. No. 3288/2015] में 22.07.2015** को निर्णित, में पैराग्राफ 8 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"8. जैसा कि अपीलार्थी की ओर से सही कहा गया है, महाराष्ट्र सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1961 के नियम 74 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला को प्रसूति छुट्टी से वंचित कर दे।

नियम 74 में महिला सरकारी कर्मचारी को प्रसूति छुट्टी का प्रावधान है। हमें नियम 74 में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो अपीलार्थी को किसी भी अन्य महिला सरकारी कर्मचारी की तरह प्रसूति छुट्टी से वंचित करता हो, केवल इसलिए कि उसने सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से मातृत्व प्राप्त किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि सरकारी संकल्प दिनांक 28.07.1995 द्वारा, प्रसूति छुट्टी न केवल प्राकृतिक मां को प्रदान किया जाता है, बल्कि दत्तक मां को भी प्रदान किया जाता है, जो बच्चे के जन्म पर उसे गोद लेती है। अपीलार्थी को प्रसूति छुट्टी देने से इनकार करने का एकमात्र कारण यह है कि 28.07.1995 के सरकारी संकल्प में सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने वाली मां को प्रसूति छुट्टी प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि सरकारी संकल्प, दिनांक 28.07.1995 दत्तक मां को प्रसूति छुट्टी प्रदान करता है, तो यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि उस मां को प्रसूति छुट्टी देने से इनकार क्यों किया जाना चाहिए, जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को प्राप्त करती है। हमारे विचार में, बच्चे को गोद लेने वाली दत्तक मां और सरोगेट मां के गर्भ में भ्रूण प्रत्यारोपित करने के बाद सरोगेट मां के माध्यम से बच्चे को जन्म देने वाली मां के बीच किसी भी तरह का अंतर नहीं किया जा सकता है। हमारे विचार में, जो मां अपने इच्छित माता-पिता के अंडे या शुक्राणु का उपयोग करके बनाए गए भ्रूण को सरोगेट मां के गर्भ में प्रत्यारोपित करके सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे को जन्म देती है, वह मामले की तुलना में बेहतर स्थिति में खड़ा होगा। एक दत्तक माँ का कम से कम दोनों में कोई भेद तो नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार भी शामिल है। अगर सरकार गोद लेने वाली मां को प्रसूति छुट्टी दे सकती है, तो सरोगेसी प्रक्रिया के जरिए बच्चा पैदा करने वाली मां को प्रसूति छुट्टी देने से सरकार के इनकार को पचाना मुश्किल है। हमें उच्च शिक्षा, नागपुर के संयुक्त निदेशक की ओर से अपीलार्थी के प्रसूति छुट्टी के दावे

को खारिज करने की कार्रवाई में कोई औचित्य नहीं मिला। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन है। रमा पांडे बनाम भारत संघ के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के अप्रकाशित निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी है। जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता पर भरोसा किया।"

25. **रमा पांडे** (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और **डॉ. श्रीमती हेमा विजय मेनन** (सुप्रा) के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा है **डॉ. पूजा जिग्नेश दोशी** (सुप्रा) के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है

"1. दूसरे बच्चे को जन्म देने में असमर्थ और यह राय बनी कि मास्टर सौरव के लिए एक भाई-बहन की जरूरत थी, जो अपीलार्थी से पैदा हुआ बेटा था; अपीलार्थी ने अपने पति की सहमति से सरोगेसी का रास्ता चुना। सरोगेट मां ने 5 नवंबर 2012 को एक बच्ची को जन्म दिया।

2. लेकिन इससे पहले, डिलीवरी की अपेक्षित तारीख के संदर्भ में, अपीलार्थी ने सरोगेट बच्चे की देखभाल के लिए प्रसूति छुट्टी की मांग की। अपीलार्थी को इस आधार पर इनकार कर दिया गया है कि छुट्टी नियम और नियमों को नियंत्रित करने वाली नीति सरोगेट बच्चे के लिए प्रसूति छुट्टी की अनुमति नहीं देती है।

3. मुद्दा अब पुनः-एकीकरण का नहीं है। डॉ. श्रीमती हेमा विजय मेनन बनाम महाराष्ट्र सरकार, 2015 की रिट याचिका संख्या 3288 में दिनांक 22 जुलाई 2015 के निर्णय में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के 17 जुलाई 2015 के रमा पांडे बनाम भारत संघ निर्णय पर भरोसा किया जिसमें कहा गया कि सरोगेसी से जन्म के मामले में भी जिन माता-पिता ने अंडाणु और शुक्राणु दिए हैं, वे छुट्टी लेने के हकदार होंगे। माँ प्रसूति छुट्टी और पिता पितृत्व छुट्टी के हकदार हैं।

4. खंडपीठ का निर्णय हो गया है और इस प्रकार हम घोषणा करते हैं कि

अपीलार्थी सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के लिए प्रसूति छुट्टी की हकदार होगी।

5. अपीलार्थी को प्रार्थना खंड [ग] के संदर्भ में मांगी गई राहत का पात्र माना जाता है; यह देखते हुए कि उसके द्वारा प्राप्त अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन छुट्टी को छुट्टी लेखे के प्रयोजनों के लिए प्रसूति छुट्टी के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और विभिन्न अंतरालों के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त उक्त छुट्टी को प्रसूति छुट्टी में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

26. हाल ही में, सरोगेट मां को प्रसूति छुट्टी देने का ऐसा ही मामला **सुषमा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एचपी 416** में रिपोर्टित के मामले में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष आया। और निम्नलिखित अवलोकन और निर्देश देकर सरोगेट मां को प्रसूति छुट्टी प्रदान किया गया, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"12. भारत के संविधान का अनुच्छेद 42 इस प्रकार है:

"42. काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान:- राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।"

13. लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि कामकाजी महिलाएं सेवा की जरूरतों के कारण अपने बच्चों को समय देने में असमर्थ थीं। इसलिए, बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बाल देखभाल छुट्टी देने की अवधारणा शुरू की गई थी ताकि मां को जब भी लगे कि बच्चे को देखभाल की आवश्यकता है तो वह बाल देखभाल छुट्टी का लाभ उठा सके। यह उन अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और संधियों के अनुरूप है, जिन पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

14. जैसा कि मुंबई हाई कोर्ट ने सही कहा है, प्रसूति छुट्टी का उद्देश्य महिला और उसके बच्चे को पूर्ण और स्वस्थ भरण-पोषण प्रदान करके मातृत्व की गरिमा की रक्षा करना है। प्रसूति छुट्टी का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है। मातृत्व

और बचपन दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

15. प्रसूति छुट्टी प्रदान करते समय न केवल माँ और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाता है, बल्कि दोनों के बीच स्नेह का बंधन बनाने के लिए भी छुट्टी प्रदान किया जाता है। सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने वाली मां और बच्चे को जन्म देने वाली प्राकृतिक मां के बीच अंतर करने का परिणाम नारीत्व का अपमान होगा और सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को पालने की महिला की मंशा का अपमान होगा। बच्चे के जन्म पर मातृत्व कभी समाप्त नहीं होता है और एक कमीशनिंग माँ को सवैतनिक प्रसूति छुट्टी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक मातृत्व लाभ का सवाल है, किसी महिला के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उसने सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त किया है। एक नवजात बच्चे को दूसरों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसे अनुसरण-पोषण की आवश्यकता होती है और यह सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है जिसके दौरान बच्चे को अपनी माँ की देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। शिशु के जीवन के पहले वर्ष में अत्यधिक मात्रा में शिक्षण होता है और बच्चा भी बहुत कुछ सीखता है। स्नेह का बंधन भी विकसित करना होगा।

16. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम इस याचिका में गुणागुण पाते हैं और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है और प्रत्यर्थियों को सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 43(1) के संदर्भ में अपीलार्थी को प्रसूति छुट्टी स्वीकृत/अनुदान करने का निर्देश दिया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।"

27. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार भी शामिल है। यदि सरकार गोद लेने वाली मां को प्रसूति छुट्टी प्रदान कर सकती है, तो सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे को जन्म देने वाली मां को प्रसूति छुट्टी देने से इंकार करना पूरी तरह से अनुचित होगा और इस तरह, गोद लेने वाली मां के बीच कोई अंतर नहीं

किया जा सकता है। बच्चा और एक माँ जो सरोगेट माँ के गर्भ में इच्छित माता-पिता के अंडे या शुक्राणु का उपयोग करके बनाए गए भ्रूण को प्रत्यारोपित करने के बाद सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से एक बच्चे को जन्म देती है।

28. इसी प्रकार, केरल उच्च न्यायालय ने **पी. गीता बनाम केरल पशुधन विकास बोर्ड लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम** के मामले में, ने **2015 में एससीसी ऑनलाइन केईआर 71** में रिपोर्टित में अभिनिर्धारित किया है,

> "74. इस प्रकार, निष्कर्ष निकालने के लिए, यह न्यायालय घोषित करता है कि जहां तक मातृत्व लाभ का सवाल है, केवल इस आधार पर किसी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि उसने सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त किया है। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि, मातृत्व या मातृत्व के द्वंद्व को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी उन सभी लाभों का हकदार है जो एक कर्मचारी को प्रसव के बाद मिल सकता है, प्रसव के बाद मां के स्वास्थ्य से जुड़ी छुट्टी के बिना। दूसरे शब्दों में, बाल विशिष्ट वैधानिक लाभ, यदि कोई हो, अपीलार्थी को दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए।"

29. उपरोक्त कानूनी विश्लेषण के मद्देनजर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक मां, जैविक मां और सरोगेसी पद्धति से बच्चा पैदा करने वाली मां के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और बच्चे को प्यार, स्नेह का बंधन और पूर्ण देखभाल और ध्यान पाने का अधिकार शामिल है। इसलिए, सरोगेसी विधि के माध्यम से पैदा हुए अपने जुडवां बच्चों की देखभाल के लिए सरोगेट मां (अपीलार्थी) को प्रसूति छुट्टी देने से इनकार करने में सरकार-प्रत्यर्थी की कार्रवाई काफी अनुचित है। प्राकृतिक जैविक मां और सरोगेट/कमीशनिंग मां के बीच अंतर करना मातृत्व का अपमान होगा। जहां तक प्रसूति छुट्टी का सवाल है, किसी मां के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सरोगेसी की प्रक्रिया से बच्चा पैदा किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से नवजात शिशुओं को दूसरों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन शिशुओं को उनके जन्म के बाद

शुरुआती महत्वपूर्ण समय यानी शैशवावस्था के दौरान माँ के प्यार, देखभाल, सुरक्षा और ध्यान की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ और जन्म के बाद इस अवधि के दौरान बच्चे के बीच प्यार और स्नेह का बंधन विकसित होता है।

30. इसके परिणामस्वरूप, तत्काल रिट याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 23.06.2020 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी को उसके पत्र दिनांक 23.02.2020 (अनुबंध.2) के माध्यम से किए गए अनुरोध के अनुसार 180 दिनों का प्रसूति छुट्टी स्वीकृत करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें।

31. एक बार, इस न्यायालय सहित हमारे देश के कई उच्च न्यायालयों द्वारा यह माना गया है कि प्राकृतिक, जैविक और सरोगेट या कमीशनिंग माताओं के बीच कोई अंतर नहीं है और उन सभी को जीवन और मातृत्व का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के तहत निहित है। भारत के संविधान और सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बच्चों को अपनी मां के माध्यम से जीवन, देखभाल, सुरक्षा, प्यार, स्नेह और विकास का अधिकार है, तो निश्चित रूप से ऐसी माताओं को उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रसूति छुट्टी पाने का भी अधिकार है। लेकिन इस संबंध में प्रावधान मौन हैं। अंतः, सरकार के लिए सरोगेट और कमीशनिंग माताओं को प्रसूति छुट्टी देने के लिए इस संबंध में उचित कानून लाने का यह सही समय है। यह न्यायालय रजिस्ट्री को निर्देश देता है कि इस आदेश की प्रति विधिक और न्याय मंत्रालय, भारत संघ, नई दिल्ली के साथ-साथ प्रमुख सचिव, कानून और कानूनी मामले विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को भी भेजी जाए। वे इस संबंध में उचित समझे जाने वाली कार्रवाई करेंगे।

32. सभी आवेदन (लंबित, यदि कोई हो) का निपटारा किया जाता है और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

सोलंकी डीएस, पीएस

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।